कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

Phone No. 0744- 2330823 E-mail :- dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 14( ) वि.स्था/उवस/ मु.रा.उ /2016–17/2863 दिनांक : 17-5-16

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.05.2016

दिनांक 11.05.2016 को 5:00 पी0एम0 पर जिला विस्थापन समिति मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा की मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता उनके कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए एवं निम्न प्रकार निर्णय लिये गये –

1. एस0 आर0 यादव उप वन संरक्षक मु0 रा0 उ0 कोटा — सदस्य सचिव
2. श्री जुगल किशोर मीणा सी0ई0ओ0 जिला परिषद कोटा — सदस्य
3. श्री वीर सिंह ओला सहायक वन संरक्षक मु0 रा0 उ0 कोटा
4. श्री जनक सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी विस्थापन
5. श्री क्षैत्रीय वन अधिकारी रांवठा

1. सर्वप्रथम एस0 आर0 यादव उप वन संरक्षक मु0 रा0 उ0 कोटा द्वारा मीटिंग में बताया गया कि वर्ष 2015–16 में दिनांक 31.03.2016 तक विस्थापन प्रगति के अन्तर्गत ग्राम खरली बावडी व लक्ष्मीपुरा के विस्थापन हेतु 135.00 लाख रूपये का आवंटन हुआ था। विस्थापन के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2016 तक ग्राम खरली बावडी के कुल 24 परिवारों में से 13 परिवारों का विस्थापन हो गया है व ग्राम लक्ष्मीपुरा के कुल 30 परिवारों में से 10 परिवारों का विस्थापन हो चुका है। आवंटित बजट 135.00 लाख रूपये में से दोनों ग्रामों के विस्थापन में 65.75 लाख रूपये व्यय हुए, शेष राशि 69.25 लाख रूपये का आवंटन दिनांक 25.04.2016 को प्राप्त हो गया है। जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष जिला विस्थापन समिति, द्वारा शेष रहे परिवारों को भी नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाकर दिनांक 30.06.2016 तक दोनों ग्रामों को पूर्ण रूप से विस्थापित कराने के निर्देश दिये।
2. एस0 आर0 यादव उप वन संरक्षक मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा सदस्य सचिव द्वारा बतलाया गया कि वर्ष 2016–17 में वरियता के आधार पर 5 ग्राम क्रमशः गिरधरपुरा, दामोदरपुरा, रूपपुरा, कोलीपुरा व मुकन्दरा (दरा गांव) का विस्थापन किया जाना है। जिसमें वरीयता अनुसार वर्ष 2016–17 में दो ग्रामों गिरधरपुरा व दामोदरपुरा के विस्थापन को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि दोंनों ग्राम टाईगर रिजर्व के सी0टी0एच0 एरिया में है। जिनसे काफी व्यवधान रहता है। जिला विस्थापन समिति द्वारा सर्व सहमति से उक्त ग्रामों की वरीयता चयन पर सहमति प्रदान की गई।
3. एस0 आर0 यादव उप वन संरक्षक मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा सदस्य सचिव द्वारा बतलाया गया कि ड्राफ्ट नई विस्थापन नीति (Revised Relocation Policy) के अनुसार विस्थापित परिवारों को दिये जाने वाला पैकेज, सर्वे की कट ऑफ डेट आदि के बारे में कुछ बदलाव प्रस्तावित है। नई विस्थापन नीति को तैयार कर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा Revised Relocation and Rehabilitation Policy के अनुमोदन उपरान्त उसी के अनुसार विस्थापन कार्य किया जाना है।

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

उप वन संरक्षक एवं
सदस्य सचिव जिला विस्थापन समिति
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

P.T.O.